1

स्टाम्प

न्यायालय श्री मान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिलारीवा म.प्र.

COURT FEE
भारत INDIA
20 Rs.
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs 20/-

निगरानी 7004-II-15

131
11.5.15

प्रमोद नारायण त्रिपाठी तनय स्व. श्री हर्ष नारायण त्रिपाठी उम्र 79 वर्ष

पेशा पेन्शनर एवं कृषि, निवासी रामपुर बघेलान, जिलासतना (म० प्र०)

——— निगरानी कर्ता

व नाम

1 शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष जिला सतना म.प्र. ———

2:- स्टाम्प कलेक्टर सतना जिलासतनाम.प्र. ——— गैर निगरानी कर्ता गण

श्री अजय पाण्डेय एड द्वारा आज दिनांक 11-5-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5434
रजिस्टर्ड ... ज
दिनांक ... ध्वा

द.
राजस्व मं... ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध कलक्टर आफ स्टाम्प जिला सतना म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक-77बी/103/2013-2014 में पारित आदेश दिनांक - 19.01.2015.

निगरानी अन्तर्गत धारा-61 भारतीय स्टाम्प अधिनियम. 1899 ई

निगरानी के आधार- निम्न लिखित है:-

1:- यहकि कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला सतना म.प्र. के द्वारा पारित " आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:-यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय के आदेशानुसार इम्पाउन्ड की कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

[illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 7004–दो/15 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/9/16	आवेदक अधिवक्ता श्री अनुज पाण्डेय उपस्थित। उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला–सतना के प्र0क्र0 77बी/103/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (ज़िसे आगे संक्षेप में अधिनियम काहा जायेगा) की धारा 61 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उक्त प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय के आदेशानुसार इम्माउण्ड की कार्यवाही हेतु भेजा गया था । माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विक्रय–पत्र दिनांक 28.04.1963 जो श्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा तनय श्री जगद्वेव तनय श्री रामचरण धोबी के नाम विक्रय–पत्र रुपये 327/– दिनांक 28.04.63 को निष्पादित किया गया था । उपरोक्त विक्रय पत्र दिनांक 14.06.68 को निष्पादित किया गया । दोनों दस्तावेजों के इम्माउण्ड करने का आदेश नियमानुसार, दस्तावेजों के निष्पादित दिनांक के अनुसार विक्रीत धन के आधार पर किया जाना था, किन्तु अधीनरथ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों को इम्माउण्ड करने का आदेश तो दिया, किन्तु इम्माउण्ड शुल्क वर्ष 2010–11 के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया है जो विधि के विरूद्ध है । तर्क में यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2010–11 इम्माउण्ड करने का आधार मुख्य रूप से	

यह लिया है कि सम्पत्ति का व्यवहार वाद वर्ष 2010–11 तेक दायर हुआ है, इस कारण उपरोक्त वर्ष के आधार पर दस्तावेजों के इम्माउण्ड हेतु शुल्क निर्धारित किया है, जबकि निगरानी कर्ता के पिता श्री हर्ष नारायण त्रिपाठी द्वारा उपरोक्त वाद पत्र दिनांक 01.10.1999 को प्रस्तुत किया । दिनांक 04.10.99 को विधिवत रीडर प्रतिवेदन हेतु प्रकरण नियत किया गया । सिविल न्यायालय सतना में प्रकरण विचाराधीन था । वर्ष 2010–11 में रामपुर बघेलाना में सिविल न्यायालय की स्थापना होने के बाद रामपुर क्षेत्र के प्रकरण सुनवाई व निराकरण हेतु सिविल न्यायाधीश रामपुर बघेलान की अदालत में अन्तरित किये गये । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना द्वारा उपरोक्त बातों पर भी बिना गौर किये आलोच्य आदेश पारित करने की त्रुटि की है । जो कि विधि के विपरीत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

3 / मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन क्रिया गया, जिसमें मैंने पाया कि माननीय व्यवहार वाद क्रमांक 499ए / 10 से संबंधित अपंजीकृत विक्रय टीप दिनांक 28.04.63 एवं दिनांक 14.06.1968 को मुद्रांक अधिनिमय की धारा 33 के अन्तर्गत अवरूद्ध कर न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, सतना को मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति की राशिा वसूली हेतु भेजा गया है । प्रकरण से संबंधित अपंजीकृत दस्तावेज विक्रय टीप का भी अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अपंजीकृत विक्रय टीप के द्वारा मौजा–रामपुर बघेलन स्थित आराली भूखण्ड रकबा 2415 व.फि. का विक्रय श्री

महराज कुमार, श्रीलाल अवधेश प्रसाद सिंह, जगदेव धोबी को विक्रय 327.00 में किया गया । इसी प्रकार अपंजीकृत दस्तावेज विक्रय टीप दिनांक 14.06.1968 द्वारा पुनः 500.00रुपये में जगतदेव पिता गजाधर प्रसाद धोबी द्वारा दिनांक 28.04.63 को क्रय (अपंजीकृत पट्टेदार) भूखण्ड रकबा 2415 व.फि. को हर्षनारायण त्रिपाठी को विक्रय कर दिया गया । इस प्रकार दोनों अपंजीकृत विक्रय टीप में प्रभावित रकबा का विधिवत पक्षकारों द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई है ।

4/ आवेदक के पिता द्वारा शपथ–पत्र दिनांक 25.03.14 में इस तथ्य की पुष्टि की है कि जगतदेव ने स्व0 श्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह ठाकुर साहब रामपुर बघेलान से पंचायत बघेलान कार्यालय के उत्तर तरफ वार्ड क्रमांक 8 स्थित रकबा 21x115=2415 व.फि. भूमि की कीमत 327.00/– में दिनांक 28.04.1963 को क्रय किया था, जिसे मेरे पिता स्व0 हर्षनारायण त्रिपाठी ले दिनांक 14.06.68 को 500.00/– में खरीदा था, इसकी कच्ची टीप पहले कप्तान अवधेश प्रताप सिंह ने जगतदेव धोबी को देकर विक्रय किया था, उसके बाद मेरे पिताजी ने भी इसी आधार पर कच्ची टीप के द्वारा क्रय किया है। मूल विक्रेता स्व0 श्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह ने रजिस्ट्री नहीं कराई थी, न इसके खसरा नम्बर ही दशर्या था, उपरोक्त कच्चीटीप में अंकित इबारत व आराजी की स्थिति के मुंताबिक वर्तमान में उसका आराजी नं0 920 है। वर्तमान में इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं है । आवेदक द्वारा उक्त आराजी नं0 920 का खसरा वर्ष 2013–14 में साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया ।

5/ प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं खसरा के अनुसार उपरोक्त अपंजीकृत दस्तावेजों में

प्रभावित सम्पत्ति मौजा रामपुर बघेलना नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8 में स्थित रिक्त भूखण्ड है । दोनों अपंजीकृत दस्तावेज में प्रभावित सम्पत्ति का व्यवहार वाद वर्ष 2010–11 अमें दायर हुआ है । माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रामपुरबघेलान द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 499ए / 10 से संबंधित अपंजीकृत विक्रय टीप किता–2 जो कि न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण क्रमांक 77 / बी–103 / 2013–14 से दिनांक 19.10.15 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय को पत्र क्रमांक 23 / जि.पू / 15 दिनांक 22.01.15 को प्रकरण के निराकरण से अवगत कराया जा चुका है । प्रश्नाधीन अपंजीकृत विक्रय टीप भी व्यवहार वाद क्र0 499ए / 10 से संबंधित है । तद्नुसार पंजीकृत विक्रय टीप में प्रभावित सम्पत्ति की मुद्रांक शुल्क संगणना शासकीय राजस्व को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय में दायर व्यवहारवाद वर्ष 2010–11 में प्रथम अपंजीकृत टीप में प्रभावित रकबा की कीमत रुपये 629000.00 / –पर मुद्रांक शुल्क 44780.00 / – के साथ ही मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत अर्थदण्ड 2000.00 / –अधिरोपित किया कि इस प्रकार कुल 46780.00 / – शासकीय कोष में चालान से जमा कर चालान से उक्त दोनों राशि जमा करें ताकि प्रकरण से संबंधित अपंजीकृत टीप मुद्रांकित मान्य की जा सके ।

6 / उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

3/9/16

(के0सी0 जैन)
सदस्य